न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :– 253/2024 अन्तर्गत धारा 251 'ए' Rt Act

उनवान :–

प्रार्थी :– 1. मासिंगा पुत्र रतनाराम जाति रबारी, निवासी भण्डारिया, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. केशा पुत्र तेजु
2. मुकना पुत्र मु.तेजू
3. सांवला पुत्र मु.तेजू जातियान रबारी निवासीगण भण्डारिया, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर
4. करसन पुत्र सोना जाति रबारी, निवासी खेजड़ीयाली तहसील चितलवाना, जिला सांचौर
5. तहसीलदार सेड़वा, जिला बाड़मेर।

वकील प्रार्थीगण :– श्री दोषमोहम्मद
विप्रार्थी संख्या 01 से 03 के वकील:– श्री करनाराम कड़वासरा
विप्रार्थी संख्या 04 के वकील:–श्री मेहराराम सारण

निर्णय

दिनांक:– ~~03.06.2025~~ 30.05.2025

प्रार्थी मासिगाराम पुत्र रतनाराम जाति रबारी निवासी भण्डारिया, तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एक काश्तकार है एवं प्रार्थी मासिंगाराम के खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा संख्या 420/234 रकबा 1.5540 हैक्टेयर किस्म बा0सो0 मौजा भण्डारिया पटवार हल्का भंवरिया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बाखासर तहसील सेड़वा में आया हुआ है जिस पर प्रार्थी का अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त हैं तथा अपने रहवास हेतु ढाणियो टांके व मवेशियें के बाड़े आदि बने हुए है। प्रार्थी द्वारा अपने काश्तकारी खेत में से सरकारी स्कूल के लिए भूमि समर्पण का वर्तमान में भी स्कूल चालु है। वास्ते स्कूल समर्पण खसरा संख्या 382/234 रकबा 0.4856 हैक्टेयर किस्म गै.मू. स्कूल। प्रार्थी की जोत व ढाणी पर आने–जाने के लिए विप्रार्थीगण के खातेदारी के खेत खसरा संख्या 385/239 रकबा 11.3716 हैक्टेयर किस्म बा0सो0 में जो कटाण रास्ते से सबसे नजदीक है, से चलकर सड़क मार्ग तक आने–जाने के लिए एकमात्र रास्ता है। प्रार्थी की जोत पर आने–जाने हेतु कदमी रास्ता है, इस रास्ते से प्रार्थी के अलावा कई अन्य परिवार भी जुड़े हुए हैं जिसका उपयोग

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.07.04 14:43:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

प्रार्थी वर्षों से करता आ रहा है तथा यह आवागमन का एकमात्र रास्ता है तथा वह आवागमन का एकमात्र रास्ता है। काश्त के समय प्रार्थी की जोत खेत खसरा संख्या 420 / 234 के चारों ओर के काश्तकार अपनी काश्त कर लेते है जिससे प्रार्थी को अपनी जोत में जाने से बाधित हो जाते है एवं हर बार रास्ते को लेकर भारी विरोध होता है, झगड़ा होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है तथा प्रार्थी के काश्तकारी खेत में स्कूल के लिए भूमि समर्पण कर रखी है जिसमें वर्तमान में स्कूल चालू है, जिसमें करीबन 100 विद्यार्थी अध्ययन करने आते है जिसके लिए कोई अन्य रास्ता नहीं है जिसकी इस्तदुआ चाही गई है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। विप्रार्थीगण के समन्न तामिल शुदा प्राप्त हुए, जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी संख्या 01 से 03 की ओर से अधिवक्ता श्री करनाराम कड़वासरा व विप्रार्थी संख्या 04 की ओर से अधिवक्ता श्री मेहराराम सारण ने वकालतनामा पेश किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तहसीलदार सेड़वा से मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु न्यायालय से अनुरोध किया। जिस पर न्यायालय द्वारा क्रमांक रीडर / 2024 / 1330 दिनांक 25.08.2024 द्वारा तहसीलदार सेड़वा से मौका रिपोर्ट तलब की। तहसीलदार सेड़वा के कार्यालय पत्रांक भू.अ. / 2024 / 3231 दिनांक 29.10.2024 द्वारा प्रकरण में न्यायालय को मौका रिपोर्ट मय खसरा नक्शा एवं जमाबंदी प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार सेड़वा के कार्यालय पत्रांक भू.अ. / 2024 / 3231 दिनांक 29.10.2024 द्वारा प्राप्त मौका जांच प्रतिवेदन निम्नानुसार है—

मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर मासीगाराम, केशा व सांवला उपस्थित मिले। उक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मौका मुआवना किया गया एवं मौका रिपोर्ट निम्नानुसार तैयार की गई

क्र स	खातेदार का नाम व पता	खसरा संख्या	रकबा हैक्ट. में	रास्ते की चौड़ाई फीट में	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	करसन पुत्र सोना हिस्सा 1 / 57 सा0 खेजडीयाली, केशा पुत्र तेजु हिस्सा 6 / 19, सांवला, मुकना पिता तेजू 2 / 3 हिस्सा कौम रबारी सा0 देह खातेदार	385 / 239	11.3716 है.	20	0.0441 है.	भण्डारिया	23225 / — रूपये प्रति बीघा की डीएलसी दर से 6327 / — रूपये	बारानी सोयम

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.07.04 14:43:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

ग्राम भण्डारिया के खसरा संख्या 420/234 में आने–जाने हेतु खसरा संख्या 385/239 में चाहे गये रास्ते का मौके का अवलोकन करने पर पाया कि संलग्न नक्शे में प्रस्तावित रास्ता की भूमि मौके पर समतल एवं निकटतम है। उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी तरह निर्माण व वृक्ष नहीं है। उक्त भूमि मौके पर खाली है। उक्त प्रस्तावित रास्ता खसरा संख्या 420/234 में आने–जाने के लिए निकटतम है। सलंग्न नक्शें में प्रस्तावित रास्ता बरंग लाल दर्शाया गया है उसके अनुसार प्रार्थी को रास्ता दिया जाना उचित है। उक्त मौका रिपोर्ट उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढ़कर सुनाई गई। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़ सुन समझ कर हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान किए।

उभयपक्षकारान् अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेजों एवं मौका रिपोर्ट पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिंतन मनन किया गया। उभयपक्षकारान् अधिवक्ता द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, तथ्यों आदि पर बहस की, जिस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थ चित्त से विचारण किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा दस्तावेजी साक्ष्यों पर युक्तियुक्त विचारणोपरांत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार योग्य प्रतीत होता है तथा प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते का विवरण निम्नानुसार है–

क्रस	खातेदार का नाम व पता	खसरा संख्या	रकबा हैक्ट. में	रास्ते की चौड़ाई फीट में	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	करसन पुत्र सोना हिस्सा 1/57 सा0 खेजडीयाली, केशा पुत्र तेजु हिस्सा 6/19, सांवला, मुकना पिता तेजू 2/3 हिस्सा कौम रबारी सा0 देह खातेदार	385/239	11.3716 है.	20	0.0441 है.	भण्डारिया	23225/– रूपये प्रति बीघा की डीएलसी दर से 6327/– रूपये	बारानी सोयम

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है, तो जिला स्तरीय कमेटी/डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिया जा सकता

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.07.04 14:43:48 IST
Reason: SelfAttested

(SDO) सेड़वा

है और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रार्थी के आवेदन की गंभीरता व अत्यधिक आवश्यकता के दृष्टिगत उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1)–(b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 11.09.2024 मय फर्द एवं संलग्न आंशिक नक्शा ट्रेस लाल रंग से दर्शाया गया है जिसके अनुसार 20.00 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थी के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थी क्षतिपूर्ति राशि नियमानुसार डीएलसी दर की दो गुना राजकोष में अदा करेगें। मौका रिपोर्ट दिनांक 11.09.2024 मय फर्द व नक्शा निर्णय का अनिवार्य अंग रहेंगे। प्रार्थी को उक्त खसरा में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

1. तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में संलग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है कि प्रस्तावित नए रास्तें में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी।
2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त निर्धारित राशि का भुगतान प्रार्थी द्वारा प्रभावित पक्षकार (विप्रार्थी) को नए रास्तें में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना के बराबर होगी।
3. प्रार्थी द्वारा नए प्रस्तावित रास्तें में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि तहसीलदार सेड़वा को प्रदान करने के उपरान्त ही स्वयं द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जायेगा।
4. नए प्रस्तावित 20 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''गैर मुमकिन रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।
5. प्रार्थी को उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।
6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जाएगा।

उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.07.04 14:43:48 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व आवेदन संख्या 253/2024
उनवान मासिगाराम बनाम केशा वगैरा

उक्त शर्तो की पालना के अध्याधीन ही प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा वांछित रास्ते हेतु आज दिनांक 30.05.2025 को आदेश किया जाता है। मौका फर्द दिनांक 11.09.2024 मय नक्शा निर्णय का अनिवार्य अंग रहेंगे। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार सेड़वा को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

(बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा
(SDO) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.07.04 14:43:48 IST
Reason: SelfAttested

माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा के राजस्व आवेदन सं. 253/2024 अनवान मालिंगाराम बनाम केशा अन्तर्गत RTA की धारा 251 क में

मौका रिपोर्ट

(धारा 251(A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत)

मैं हीराराम सारण (नाम) भू. अभिलेख निरीक्षक वृत्त बाखासर, कार्यालय, तहसीलदार सेड़वा के आदेश क्रमांक 491/2024/2774 दिनांक 30-09-2024 की पालना में भूमि की मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु आज दिनांक 11-09-2024 समय ....बजे आराजी खसरा नम्बर- 385/239 वाके ग्राम भडवातिया पटवार मंडल भडवातिया पर श्री जगाराम पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस क्रमांक 144 से 148 दिनांक 05-09-2024 द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	प्रार्थी/अप्रार्थी
01	मालिंगाराम	रतनाराम	5?	रबारी	प्रार्थी
02	केशा	तेजू	72	रबारी	अप्रार्थी
03.	सावला	तेजू	60	रबारी	अप्रार्थी

प्रथम कोर्ट

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मौका मुआयना किया गया एवं मौका रिपोर्ट निम्मानुसार तैयार की गई :-

क्रम संख्या	खातेदार का नाम व पता	नाम ग्राम	खसरा नं०	रकबा (हेक्टेयर में)	रास्ते की चौड़ाई फीट में	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत (रुपये)	भूमि… डिल…
01	करसन पुत्र सोनाजी 1/57 भाग बेजडीयाली केशा, सावला पुत्र तेजू 6/19 हि, मुकना पुत्र तेजू 2/3 हि कौम रबारी सा० भडवातिया	भडवातिया	385/239	[illegible]	[illegible] फीट	0.0441 हेक्टेयर	23225/- रुपये प्रति बीघा की दर से DLC दर से = 6327 रुपये	का…

ग्राम भडवातिया के खसरा नं० 420/234 से जाने [illegible] खसरा नं० 385/239 में से चाहे गये रास्ते का मौका अवलोकन करने पर [illegible] [illegible] नक्शे के प्रस्तावित रास्ता की भूमि मौके पर समतल एवं निकटतम है। उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी तरह निर्माण व वृक्ष नहीं है, उक्त भूमि मौके पर खाली है। उक्त प्रस्तावित रास्ता खसरा नं. 420/234 से आने-जाने के लिए निकटतम है।

C.S.

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.07.04 14:43:48 IST
Reason: SelfAttested

उक्त मौका रिपोर्ट उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढ़कर सुनायी गई। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	प्रार्थी/अप्रार्थी
01	मालिगाराम	रतनाराम	रबारी	मालिगाराम	प्रार्थी
02					

निम्न पक्षकारों ने मौका रिपोर्ट पढ़, सुन, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	प्रार्थी/अप्रार्थी
01	केशा	तेजू		रबारी	अप्रार्थी
02	सावला	तेजू		रबारी	अप्रार्थी

मौके पर उपस्थित अन्य मौतबिरान को भी उक्त मौका रिपोर्ट पढ़कर सुनायी गयी और उनके निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/ मोबाईल नं.
01	सोनाराम	रतनाराम	77	रबारी	मण्डापिपा
02	रहीम	समा	63	मुसलमान	मण्डापिपा
03	करसन	सोनाराम	43	रबारी	
04.	गवनाराम	धान्नाराम	65	मेगवाल	
05	कानजी	उदाराम	60	रबारी	

इस प्रकार आज दिनांक .... को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई है।

मालिगाराम

हस्ताक्षर
पटवारी
पं. मं.

भू. अ. निरीक्षक
वृत.......

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.07.04 14:43:48 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 10/09/2024 08:45:34 PM

जिला : बाड़मेर

तहसील : सेडवा

भू. अ. नि. क्षेत्र : बाखासर

पटवारी हल्का : भंवरिया

ग्राम : भण्डारीया

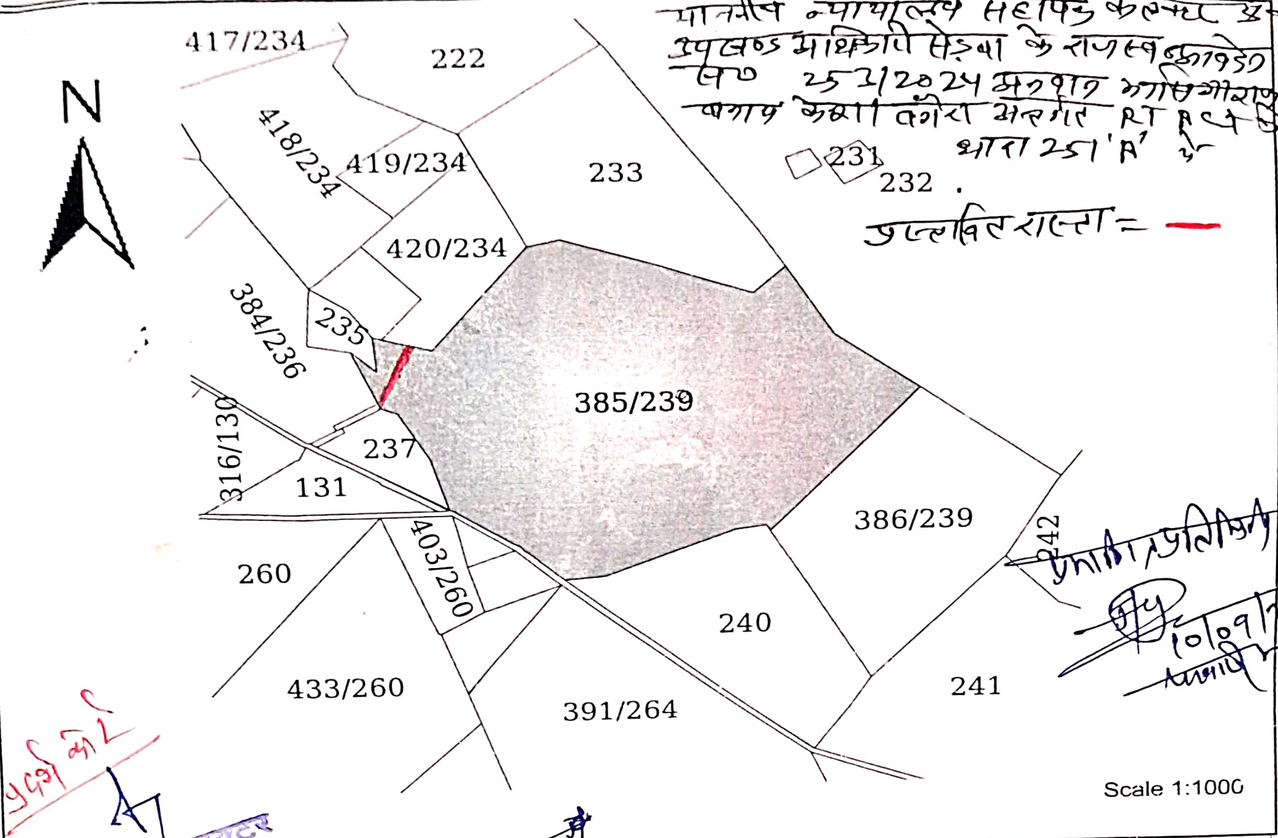

खसरा संख्या :385/239 क्षेत्रफल : 11.3716 Hectare खाता संख्या : 67पुराना खाता संख्या :51

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बा.सोयम [11.3716, 3.53]

1.) करसन पुत्र सोना हिस्सा- 1/57 जाति- रबारी सा. खेजडीयाली खातेदार
2.) केशा पुत्र तेजू हिस्सा- 6/19 जाति- रबारी सा. देह खातेदार
3.) मुकना पुत्र मु.तेजू हिस्सा- 1/3 जाति- रबारी सा. देह खातेदार
4.) सावला पुत्र मु.तेजू हिस्सा- 1/3 जाति- रबारी सा. देह खातेदार

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

नोट :-
१. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु [illegible] करें। ULPIN no : null

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.07.04 14:43:48 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार (भू.अ.) सेडवा